कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(PMAY Cell)

कचहरी रोड, राँची, पिन – 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :– 493 **दिनांक :– 08.06.2019**

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

–:आम सूचना:–

आप सभी राँची नगर निगम नगरवासियों को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अधीन घटक–I ''स्व स्थाने'' स्लम पुनर्विकास तथा घटक–III ''भागीदारी में किफायती आवास'' के अन्तर्गत आवासों का निर्माण किया जाना है। राँची नगर निगम क्षेत्र में निवास करने वाले आवासविहीन परिवारों को सूचित किया जाता है कि योग्य एवं इच्छुक लाभुक अपना आवेदन–पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ राँची नगर निगम में कार्यालय अवधि में जमा करेंगे।

घटक–I ''स्व स्थाने'' स्लम पुनर्विकास के प्रावधान–

इस घटक के अन्तर्गत राँची नगर निगम क्षेत्र के स्लम के पुनर्वास हेतु आवासीय परियोजना का निर्माण राँची नगर निगम क्षेत्र में किया जाना है। इस घटक के अन्तर्गत आवासों की लागत प्रति आवास लगभग रू0 7 लाख से रू0 8 लाख तक संभावित है। इस योजना हेतु प्रति आवास लाभुक का अंशदान लगभग रू0 1.50 लाख से रू0 2.50 लाख तक होगा।

घटक–III भागीदारी में किफायती आवास के अन्तर्गत प्रावधान–

इस घटक के अन्तर्गत राँची नगर निगम क्षेत्र के आवासविहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु परियोजना का निर्माण राँची नगर निगम में किया जाना है। इस घटक के अन्तर्गत आवासों की लागत प्रति आवास लगभग रू0 7 लाख से रू0 8 लाख तक संभावित है। इस योजना हेतु प्रति आवास लाभुक का अंशदान लगभग रू0 4.5 लाख से रू0 5.5 लाख तक होगा।

घटक–I ''स्व स्थाने'' स्लम पुनर्विकास एवं घटक–III ''भागीदारी में किफायती आवास'' के अन्तर्गत लाभुक हेतु पात्रता की शर्तेः–

i. सभी लाभार्थियों (पूर्व में आवेदन देने वालों को भी) को नये सिरे से ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

ii. लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के ही होंगे जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रू0 हो (आय प्रमाण पत्र)।

iii. आवेदक मिशन के शुभारम्भ तिथि अर्थात् दिनांक–17.06.2015 के पूर्व से उस शहरी क्षेत्र/स्लम क्षेत्र में निवास करते हों (मतदाता पहचान पत्र या अन्य)।

iv. योजना अन्तर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे (आधार कार्ड)।

v. आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य के नाम पर भारत में कही भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए (शपथ पत्र)।

vi. लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों में से केवल एक घटक का लाभ ले सकते है (शपथ पत्र)।

vii. पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित आवासीय योजनाओं के लाभुक इस मिशन अन्तर्गत पात्र नहीं होगें।

viii. **आवेदक हेतु आवश्यक दस्तावेजः–**

a. लाभार्थी का मतदाता पहचान पत्र एवं संयुक्त धारक का पहचान पत्र (स्व सत्यापित छायाप्रति)
b. लाभार्थी का पासपोर्ट साईज फोटो (3 प्रति)
c. लाभार्थी का बैंक एकाउंट संख्या एवं पासबुक (स्व सत्यापित छायाप्रति)
d. लाभार्थी के द्वारा उसके पैतृक जिले के राजस्व पदाधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण–पत्र।
e. स्व हस्ताक्षरित लाभुक सहमति पत्र की मूल प्रति (http://udhd.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।)
f. स्व घोषणा/शपथ पत्र (स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति)
g. आधार कार्ड (स्व सत्यापित छायाप्रति)
h. लाभार्थी का चालू मोबाइल नं0 (आवास आवंटित होने तक सुगम सम्पर्क हेतु)
i. राँची नगर निगम के द्वारा माँगा गया अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)

ix. **नये आवेदन/पंजीकरण निम्नांकित माध्यमों से किया जा सकता हैः–**

प्रथम चरण–

a. विकल्प–I लाभार्थी द्वारा शहरी एवं आवास मंत्रालय के वेबसाइट www.pmaymis.gov.in में Citizen Assessment के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण किया जा सकता है।
b. विकल्प–II लाभार्थी द्वारा Common Service Centre/प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण सशुल्क किया जा सकता है।

द्वितीय चरण–

a. लाभार्थी ऑनलाइन भरे हुए आवदेन फार्म की प्रिंट कॉपी, लाभुक पत्र एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज के साथ राँची नगर निगम कार्यालय अवधि में जमा करना सुनिश्चित करेगें।

x. लाभार्थी के आवेदन पत्र, पात्रता एवं दस्तावेज का सत्यापन राँची नगर निगम कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

xi. इस योजना की अधिक एवं विस्तृत प्रावधानों, शर्त्तो एवं प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए आप सभी राँची नगरवासी राँची नगर निगम के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

xii. राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत संबंधित वार्डो के वार्ड कार्यालय में दिनांक– 11.06.19 से 06.07.19 तक वार्डवार निर्धारित तिथियों को पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराहन 1:00 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी विवरणी निम्नांकित हैः–

तिथि	वार्ड सं०	तिथि	वार्ड सं०
11.06.19 से 12.06.19	1,6,7,10,15,16,17,24,30,31,32,47,48	24.06.19 से 25.06.19	11,27,29,51
14.06.19 से 15.06.19	3,33,38,45,53	27.06.19 से 28.06.19	2,12,21,42,43,44,49
17.06.19 एवं 19.06.19	8,13,14,18,19	01.07.19 से 02.07.19	4,28,50,52
21.06.19 से 22.06.19	5,9,22,26,34,35,40,37	05.07.19 से 06.07.19	20,23,25,36,39,41,46

उप नगर आयुक्त,
रॉँची नगर निगम, रॉँची।

ज्ञापांकः—......................,रॉँची / दिनांकः—.........................

प्रतिलिपिः— श्री अमित कुमार, (GIS Specialist), Nodal Officer Online Advertisement को इस निदेश के साथ की सूचना के स्थानीय समाचार पत्रों के अंक में प्रकाशन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः— श्री राजेश कुमार, IT Section को इस निदेश के साथ की आम सूचना को रॉँची नगर निगम के वेबसाइट में प्रकाशन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उप नगर आयुक्त,
रॉँची नगर निगम, रॉँची।

ज्ञापांकः—......................,रॉँची / दिनांकः—.........................

प्रतिलिपिः— माननीया महापौर / मा० उप महापौर / नगर आयुक्त / अपर नगर आयुक्त / सहायक नगर आयुक्त रॉँची नगर निगम, रॉँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी मा० वार्ड पार्षदगण को सूचनार्थ प्रेषित।

उप नगर आयुक्त,
रॉँची नगर निगम, रॉँची।